


146



न्यायालय श्रीमान अध्याय महोदय, राजस्व मण्डल **उच्चतम** ग्वालियर
केम्प, भोपाल ₹ 10000

विशानी 1280-PBK-15

पुनरीक्षण क्रमांक-

इमरतसिंह पुत्र हरीराम, आयु-वयस्क

निवासी गोलखड़ी, तहसील हुज़ूर

जिला भोपाल ₹ 10000

-----पुनरीक्षणकर्ता

कनाम

श्री श्री. पी. विवादी 2 दि. 19/5/15

1- ड्टो साईदा मोईन हुसैन पत्नी

श्री डा. मोईन हुसैन, आयु-वयस्क

2- शाईस्ता स्टेसन बाला, पत्नी

गुलाम मुर्तुजा स्टेसन, बाला आयु-वयस्क

एस-

दोनो निवासी-80 श्यामला हिल्स भोपाल

₹ 10000

-----अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-50 मओप्रओ नूओ राजस्व संहिता-1959

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नानुसार निवेदन है :-

अधिनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक तहसील हुज़ूर वृत्त-1

प्रकरण क्रमांक 92/अ-12/12-13 गांव इस्लाम नगर स्थित कृषि भूमि खारा

नं. 31/1/2/1 का सीमांकन दिनांक 4-6-2014 को पुनरीक्षणकर्ता की

अनुपस्थिति एवं क्वा सूचना तथा आसपडोस को भूमि का सीमांकन नहीं

किया गया इसकेबाद जंजीर द्वारा नपती न करते हुये कंप्यूटर द्वारा नपती

में सीमांकन किया गया जिससे दुखी होकर पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण निवेदन

उक्त आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है ।

Signature

186

6/5/15

30/5/15

इमरतसिंह



R-1280-PBR/15

30.11.2016

N & P 2016

आवेदक की जोर ले डी
वी०पी० तिवारी अभियांत्रिकी
उपाख्यत होकर प्रकण सही
चकारों का अनुलेष्य किया।
अनुलेष्य स्वीकार किया जाता है।
प्रकण सही चकारों के कारण
समाप्त किया जाता है।

अ

अध्यक्ष